न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
उनवान :— विविध प्रकारण संख्या 37 / 2020

1. भजन सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भजन सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. अमरीक सिंह पुत्र श्री बोगा सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3. अंकुर धोसी पुत्र श्री अमरीक सिंह.जाति रामगढ़िया निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. गुरमुख सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जटसिख निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदीप सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह. जाति जटसिख निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जगजीत सिंह उर्फ काला पुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री ओमप्रकाश बतरा — — प्रार्थीगण
2. श्री संजय कुमार जनवेजा — — अप्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :—09.10.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि चक 1 एल एल तहसील श्रीगंगानगर मुरब्बा नम्बर—25 में रकबा है जिसके लिये मुरब्बा नम्बर—15 किला नम्बर—5,6,15,16,25 में रास्ता मन्जुरशुदा है तथा मुरब्बा नम्बर—14 में किला नम्बर—21 मे 16 गुणा 16 फुट जगह पर पुली बहुत पुरानी बनी हुई है जिससे होकर प्रार्थीयान मुरब्बा नम्बर—25 में अपने खेत पहुंच जाता है। अप्रार्थी का मुरब्बा नम्बर—14 किला नम्बर—21 है जो प्रार्थीयान का रास्ता किला

तोड़ दिया है जिससे अब प्रार्थीयान को अपने खेत में जाने में कठिनाई हो रही है। जब मुरब्बा नम्बर–15 के किला नम्बर–5,6,15,16,25 में रास्ता जो मन्जूर किया गया है वह मुरब्बा नम्बर–25 के लिये दिया, मुरब्बा नम्बर–14 किला नम्बर–21 मोड़ से आगे अपने खेत नहीं पहुंच सकते। अब अप्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर–14 किला नम्बर–8 में पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है यदि उस पुल को तोड़ दिया तो प्रार्थी को जाने के लिए कोई साधन नहीं रहेगा। यही रास्ता नजदीक व सुविधाजनक है, इसके अलावा ओर कोई जाने के लिये रास्ता नहीं है। प्रार्थीयान उपरोक्त जगह के लिये राशि जमा करवाने के लिये तैयार है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र एक रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 1 एल एल मुरब्बा नम्बर–14 किला नम्बर–21 में 16 गुणा 16 फुट जगह मन्जूर करके पुल बनाये जाने का आदेश दिया जावे पुलिया का खर्चा प्रार्थीयान अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांकःराजस्व/20/543 दिनांक 02.07.2020 अनुसार प्रार्थीगण चक 1 एलएल के मु.नं. 15 के किला नम्बर 5 ता 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता का उपयोग कर रहा था, प्रार्थीगण के रकबा में जाने के लिए स्वीकृत शुदा रास्ते में मु.नं. 14 के किला नं. 21 में कोने पर 18 गुणा 22 फीट रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीगण रकबा में जाने के लए मु.नं. 15 के किला नं. 5 ता 25 में चालू कटानी (स्वीकृतशुदा) रास्ता गुजरता है। प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के उपरोक्त स्वीकृतशुदा चालू रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। ये ही चालू रास्ता निकटतम एवं उपयुक्त रास्ता है। मौका नक्शा अवलोकनार्थ संलग्न है। प्रार्थीगण को अपेन खेतो में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिन्दुसंख्या 5 के अनुसार प्रार्थीगण के पास आवागमन वास्ते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में सहमति हो चुकी है जिसका शपथ पत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पासी सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं जो मूल ही संलग्न सादर प्रेषित है। वस्तुत स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 1 एलएल के मु.नं. 14 के किला नम्बर 21 के कोने पर 18 गुणा 22 फुट रकबा में नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 10.07.2020 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार पंचायत ने प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान की आपसी सहमति से राजीनामा करवा दिया है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 1 एल एल के मु0 न0 14 में रकबा है तथा प्रार्थीयान के नाम दर्ज चक 1 एल एल के मु0 न0 25 के लिए किला न0 5,6,15,16,25 में रास्ता मंजूरशुदा है तथा मु0 न0 14 के किला न0 21 पर पुली बनी हुई है, जो काफी अरसा से चल रही है मगर मंजूर नहीं है लेकिन घरू तौर पर मु0 न0 10 14 के किला न0 21 में मोड से प्रार्थीयान अपने खेत में जा रहे थे मगर आपसी विवाद होने से अप्रार्थीयान पुली को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर प्रार्थीयान ने मु0 न0 14 के किला न0 21 में 16 गुणा 16 फीट रास्ता की मांग की, जिस पर पंचायत ने आपसी सहमति से राजीनामा करवा दिया, उपरोक्त जमीन अकेले गुरमुख सिंह पुत्र भगवान सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, गुरमुख सिंह ने अब चक 1 एलएल के मु.नं. 14 के किला नं. 21 में 18 गुणा 22 फुट पुली वाली जगह रास्ता के लिए छोड दी है, उपरोक्त रास्ता की ऐवज में मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है, अतः उपरोक्त मु.नं. 14 के किला नं. 21 में

हो गया है, अप्रार्थी का जो खाला बना हुआ है, उस पर प्रार्थीयान किसी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करेंगे। लिहाजा राजीनामा पेश करके अर्ज है कि चक 1 एलएल तह0 श्रीगंगानगर के मु0नं0 14 के किला नम्बर 21 में 18 फीट चौडा तथा 22 फीट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं है, रास्ता की जगह का मुआवजा प्राप्त कर लिया है।

प्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2020 को पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तर्क किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम प्रार्थना पत्र से तर्क किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. दिनांक 10.07.2020 को पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त अनवान के मुकदमा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का पंचायत ने राजीनामा करवा दिया है। प्रार्थीयान द्वारा पूर्व में चक 1 एलएल मु.नं. 14 में किला नम्बर 21 में 16 गुणा 16 फीट रास्ता की मांग की गई थी। अब पंचायत ने राजीनामा करवा दिया है तो मु.नं. 14 में किला नं. 21 में 18 गुणा 22 फुट जगह देना तय किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो गया है। पत्रालवी पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास अपंनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव है, एवं प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एलएल तह0 श्रीगंगानगर के मु0नं0 14 के किला नम्बर 21 में 18 फीट चौडा तथा 22 फीट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप रास्ता की जगह का मुआवजा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अप्रार्थी का जो खाला बना हुआ है, उस पर प्रार्थीयान किसी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करें। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 09.10.2020 को लिखवाया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद्र सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर